NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 185/NCRES/20 दिनांक 17.9.2020

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :– FSO के पद को संवेदनशील पद (Sensitive Post) माना जाना।
सन्दर्भ :– NCRES का पत्र दिनांक 31.8.2020

महोदय,

NCRES ने अपने सन्दर्भित पत्र दिनांक 31.8.2020 द्वारा FSO के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की समस्या एवं मांग से NFIR को अवगत कराया है। NCRES का अनुरोध है कि इसी सम्बन्ध में निम्न तथ्यों को भी सज्ञान में लेने की कृपा करे।

(1) स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के Food Safety & Standard Authority of india ने दिनांक 28.3.2012 को भारतीय रेल के समस्त जोनो में स्वास्थ एवं मलेरिया निरीक्षक (CHI) कैडर से वरीयता के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) की पोस्टिंग का निर्देश दिया जिसके अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में वरीयता के आधार पर श्री भूदेव सिंह को मुख्यालय में पोस्ट किया गया।

(2) रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र सं. 2012/H-1/9/2/1 दिनांक 29.10.2012 द्वारा FSO के पद को बढ़ाकर एक से दो किया और वरीयता एवं उपयुक्तता (Seniority Cum Suitability) के आधार पर चयन करने का निर्देश दिया जिसके अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे ने आप्सन लेकर सन् 2013 में CHI कैडर से श्री आर. के. सैनी व श्री ए. के. पोद्दार का FSO के पद पर चयन किया।

यहां गौर करने की बात है कि FSO के पद पर चयन से पहले यह नही बताया गया कि FSO का पद संवेदनशील पद (Sensitive Post) है।

(3) रेलवे बोर्ड द्वारा पुनः पत्र सं. 2014/H-1/9/4 दिनांक 24.3.2015 जारी कर सभी जोन को निर्देश दिया कि प्रत्येक मण्डल में एक FSO पोस्ट किये जाय, इसीलिये नार्थ सेन्ट्रल में तीन पद बनाये गये और आप्सन लेकर वरीयता एवं उपयुक्तता के आधार पर तीनों मण्डल में FSO पोस्ट किये गये। यह गौर करने का विषय है कि इस बार भी चयन के पूर्व यह नही बताया गया कि FSO का पद संवेदनशील पद है।

(4) यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 24.3.2015 में FSO के पद को संवेदनशील (Sensitive) पद नही माना है और पत्र में स्पष्ट किया है कि " The FSO Shall be placed under administrative control of the CMS."

लेकिन नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के Dy. CMD ने दिनांक 23.4.2015 को प्रयागराज, झांसी और आगरा के CMS को पत्र जारी कर कहा है कि FSO का पद संवेदनशील (Sensitive) पद है और उनका स्थानान्तरण नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कही भी हो सकता है।

(5) रेलवे बोर्ड के प्रावधान के अनुसार खाद्य सामग्री के 12 लाख सालाना से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिये भेजे गये आनलाइन प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने के उपरान्त FSO द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने के कार्य के कारण Dy. CMD/NCR ने अपने पत्र दिनांक 23.4.2015 द्वारा FSO के पद को संवेदनशील पद घोषित किया है।

(6) यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 1.9.2020 (संलग्न) द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य FSO से लेकर Designated officer (DOS) को सौंप दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि FSO के पास कोई ऐसा कार्य नही है जो संवेदनशील हो या संवेदनशील की तरह हो।

NCRES का अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त तथ्यो को भी सज्ञान में लेकर रेलवे बोर्ड स्तर पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न :– रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 1.9.2020

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

No. 4(42)2011/Railways/FSSAI
Food Safety and Standards Authority of India
(A Statutory Authority established under the Food Safety and Standards Act, 2006)
(Regulatory Compliance Division)
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi - 110002

Dated, the 01 September, 2020

Order

Subject: Appointment of Designated Officer as Registering Authority in Indian Railways (i.e. One Registering Authroity per Indian Railway Zone)-reg.

In exercise of the powers conferred on the undersigned under Sub-Section (5) of Section 10 read with Section 36 of Food Safety and Standards Act, 2006 and further read with Regulation 1.2.1.(1) of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businessess) Regulations, 2011, Designated Officers working under Indian Railways are hereby appointed as Registration Authority in Indian Railways w.e.f. 15th September, 2020 in addition to their existing role and responsibilities. There shall be one Registering Authority per Indian Railway Zone for issuance of Registration Certificates to the eligible FBOs as per the provisions of FSS Act. 2006 and Rules and Regulations made thereunder

2. Accordingly, the License/Registration of FBOs on Indian Railway premises shall be carried out only by the concerned Designated Officers (DOs) of Indian Railway w.e.f. 15th September, 2020 and the Food Safety Officers (FSOs) of Indian Railways shall perform their enforcement duties as per the powers vested in them under Section 38 of FSS Act. 2006 and Rules and Regulations made thereunder.

Singhal 1/9

(Arun Singhal)
Chief Executive Officer. FSSAI

Copy to:-

1. PPS to Chairman, FSSAI, for the kind information of Chairman, FSSAI.
2. Dr. K. Sridhar, Executive Director (Health), Railway Board, Pragati Maidan Metro Station, New Delhi.
3. Sh. Lav Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.
4. Commissioners of Food Safety of all States/UTs.
5. All Divisional Heads/Central Licensing Authority/Central AOs of FSSAI.